न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2013 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 11.10.2013
G.C.M.S. NO. :- 2013/00014

मुकेश कुमार पितलिया पिता स्व. बसंती लाल महाजन, जाति महाजन, आयु 43 वर्ष, पेशा व्यापार, निवासी जाड़ाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–ग्राम पंचायत जाड़ाना, पंचायत समिति राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–पंचायत समिति राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–रामलाल पुत्र छोगालाल सुखवाल, जाति सुखवाल, आयु वयस्क, निवासी जाड़ाना तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 बाबत् निरस्त कराये जाने पट्टा (प्रारूप 23) पट्टा संख्या 656 दिनांक 20.01.2009

उपस्थिति : 1–श्री चांदमल गर्ग, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री राजेन्द्र सुखवाल, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 3

प्रकरण संख्या 26/2013 (नि.पं.)
मुकेश कुमार पितलिया पिता बसन्ती लाल महाजन निवासी जाड़ाना बनाम ग्राम पंचायत जाड़ाना पंचायत समिति राशमी वगैरा

निर्णय

दिनांक 14.09.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है विपक्षी संख्या 1 अधीनस्थ ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष मे जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 656 दिनांक 20.01.2009 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा कई कानूनी चूक की है। जो भूमि आवंटन की जानी थी वह शर्त अनुसार 300 गज तक ही आवंटन की जा सकती थी। जिसके हिसाब से 300 गज X 03 फीट यानि 900 वर्गफीट भूमि ही अधिकतम आवंटन की जा सकती थी जबकि पंचायत ने 1170 वर्गफीट भूमि आवंटन कर दी जो कि 270 वर्गफीट ज्यादा है। पट्टा जारीकर्ता सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर मात्र है किन्तु उनके हस्ताक्षर के नीचे उनके द्वारा दिनांक अंकित नहीं की है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें भी सही साईज प्लॉट की अंकित नहीं की है। न साधारण सभा की बैठक बुलाई गई न ही साधारण सभा की बैठक में वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया न ही प्रस्ताव संख्या का पट्टे मे अंकन किया है। अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 656 दिनांक 20.01.2009 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सुखवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने दौराने बहस जाहिर किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, जाड़ाना ने विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। पट्टा निम्न पड़ौसो के मध्य अवैधानिक रूप से दिया गया हैः-

उत्तर में आम रास्ता एवं सत्यनारायण, भगवान लाल सुखवाल, दक्षिण में कालूराम सुखवाल का मकान एवं भैरूजी तेली के मकान की गली, पूर्व में मुकेश कुमार पितलिया का मकान तथा पश्चिम में रतन लाल सुखवाल का मकान

प्रकरण संख्या 26/2013 (नि.पं.)
मुकेश कुमार पितलिया पिता बसन्ती लाल महाजन निवासी जाड़ाना बनाम ग्राम पंचायत जाड़ाना पंचायत समिति राशमी वगैरा

अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में निम्न कानूनी गलतियां की है तथाकथित पट्टा संख्या 656 ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा जारी किया हुआ मात्र है किन्तु यह पट्टा ग्राम पंचायत जाड़ाना क्षेत्र के ग्राम लसाडिया खुर्द का है या ग्राम जाड़ाना का इस पट्टे में आवंटित स्थान के ग्राम का नाम अंकित नहीं है यह महत्वपूर्ण कानूनी चूक होने से निरस्त योग्य है। गम्भीर कानूनी चूक यह है कि शर्त में पट्टे का माप लिखना चाहिए जो नहीं लिखा है पट्टे में अंकित शर्त अनुसार भूमि 300 गज तक ही आवंटन की जा सकती है जिसके अनुसार 900 वर्गफीट तक ही आवंटन की सकती है जबकि विपक्षी संख्या 1 ने 1170 वर्गफीट का पट्टा जारी कर दिया जो कि 270 वर्गफीट अधिक है। पट्टा संख्या 656 की पुष्ठ पर प्लॉट मानचित्र दर्शा रखा है जिसमें उत्तरी भुजा 36 इंच, दक्षिणी भुजा 29 इंच, पश्चिमी भुजा 35 इंच तथा पूर्वी भुजा 37 इंच इस प्रकार पट्टे पे नाप इंच में लिखा है जो कि अवैधानिक साईज का होने से निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने में सचिव एवं सरपंच द्वारा पट्टे पे हस्ताक्षर मात्र किए हुए हैं जबकि हस्ताक्षर के नीचे उनके द्वारा दिनांक अंकित नहीं की है जो महत्वपूर्ण है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा सन् 2004 से 2009 तक जारी किए गए समस्त पट्टे फर्जी एवं सरपंच के अंगूठा छाप होते हुए किसे ने फर्जी हस्ताक्षर कर दिए थे इस कारण अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 31.12.2009 तक के सारे पट्टे निरस्त कर दिए है जिससे हस्तगत पट्टा संख्या 656 भी निरस्ती में आता है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा पैतृक पट्टा बनाने बाबत जो आवेदन दिया था उसमें नाप अलग होने तथा पट्टा मे नाप अलग अंकित होने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र के विपरीत गलत पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा पट्टे में उत्तर दिशा में साईज 35 फीट चाही गई है जबकि ग्राम पंचायत ने मनमकसूद तरीके से पट्टे की उत्तरी भुजा 36 फीट दे दी है जिससे निगराकार के रोशनदान बन्द हो जाने से निगराकार रोशनदान से शुद्ध हवा प्रकाश का उपभोग करने से वंचित हो गया जिससे निगराकार एवं उसके परिवारजन शारीरिक स्वास्थ्य से कमजोर होने लग गये हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 1 ने तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां भी आमंत्रित नहीं की है और गुपचुप तरीके से पट्टा जारी कर दिया यदि आपत्तियां आमंत्रित की जाती तो निगराकार अवश्य आपत्ति प्रस्तुत करता तथा मेरे मकान के पश्चिम में व विपक्षी संख्या 3 के प्लॉट के पूर्व में सार्वजनिक गली जो वादग्रस्त प्लॉट के दक्षिण दिशा में स्थित भगवान श्री भैरूनाथ के सार्वजनिक देवरे मे जाती है उसको बंद नहीं होने देता। हस्तगत पट्टा अवैधानिक एवं नियमों के परे जारी होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 656 दिनांक 20.01.2009 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 3 का दौराने बहस मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत जाड़ाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 656 ग्राम जाड़ाना का ही जारी किया गया है क्योंकि निगराकार ने स्वयं को जाड़ाना का निवासी बताकर निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार को कोई सरकारी भूमि से पट्टा आवंटन नहीं किया है बल्कि गैर निगराकार संख्या 3 के स्वयं की पैतृक पुश्तैनी भूमि का पट्टा जारी किया है। निगराकार ने अपनी निगरानी में समस्त तथ्य मनगढ़न्त अंकित किए हैं तथा पट्टे की नाप इंच में होना बताया है जो कि सरासर गलत है पट्टे पर स्पष्ट रूप से हिन्दी में नाप फीट मे अंकित किया हुआ है निगराकार स्वच्छ मंशा से नहीं आए हैं पट्टे में जो पड़ौस अंकित किए हैं वह एकदम सही अंकित किए हैं इन सही पड़ौसान के आधार पर जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़, सिविल न्यायालय राशमी में निगराकार का अस्थाई निषेधाषा का प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ है। पट्टे में जो नाप अंकित है अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की नाप मनमाफिक कम ज्यादा नहीं करके बल्कि मौके पर नापकर वास्तविक नाप के आधार पर पट्टा जारी किया है। निगराकार एवं विपक्षी संख्या 3 के मकान के बीच में कभी कोई सार्वजनिक गली नही रही है बल्कि दोनों के मकान सटमा होकर आपस में चिपके हुए हैं निगराकार को सक्षम दीवानी न्यायालय में मिली हार से खीजकर गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। निगराकार के कोई रोशनदान नहीं है निगराकार के पिता ने विपक्षी संख्या 3 के पिता को उक्त भूखण्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है जिसके पड़ौस मुझ बेचवाल की हवेली, पश्चिम में बद्रीलाल पितलिया का मकान, रतनलाल पिता हाबू जी ब्राह्मण का मकान, उत्तर में मकान का निकास व ब्रदीलाल जी का निकास तथा दक्षिण में कालू पिता टोडू जी ब्राह्मण तथा भैरूलाल पिता जीतू जी तेली के मकान की गली वर्णित किये हैं इसलिये निगराकार के पिता स्वयं ने तलिया विक्रय किया है तो वहां सार्वजनिक गली होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। निगराकार ने उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 3 को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से पेश की है जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण संख्या 26/2013 (नि.पं.)
मुकेश कुमार पितलिया पिता बसन्ती लाल महाजन निवासी जाड़ाना बनाम ग्राम पंचायत जाड़ाना पंचायत समिति राशमी वगैरा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत जाड़ाना से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टे में गैर निगराकार संख्या 3 को निवासी जाड़ाना होना अंकित किया है जिससे अपने आप में स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जाड़ाना का ही जारी किया है निगराकार ने पट्टे में दर्शाये गए माप इंच में होकर अवैधानिक होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है किन्तु पट्टे के पुष्ठ भाग पर अंकित माप के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटटे का माप हिन्दी भाषा में फीट में अंकित किया हुआ है।

जहां तक अधिवक्ता निगराकार का कथन है कि गैर निगराकार संख्या 3 द्वारा पैतृक पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र दिया है उसमें प्लॉट का माप अलग अंकित किया हुआ है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अलग माप का पट्टा जारी किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि नक्शा नवीस एवं नियुक्त पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर मौके पर प्लॉट की असल साईज माप चौक करके पट्टा जारी किया गया होगा। निगराकार ने अपनी निगरानी में यह अंकित किया है कि पट्टा जारी करने में सचिव एवं सरपंच द्वारा पट्टे पे हस्ताक्षर मात्र किए हैं जबकि हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं की है जिससे भी पट्टा निरस्त योग्य बताया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगें कि सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर के नीचे भी दिनांक अंकित होना तात्कालिक समय में अनिवार्य नहीं था। पट्टे के निरस्तीकरण का यह ठोस आधार नहीं है। पट्टे की प्रथम पंक्ति में विक्रय-विलेख की दिनांक 20.01.2009 स्पष्ट रूप से अंकित है अतः अलग से सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर के नीचे भी दिनांक अंकित होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। निगराकार ने पट्टा 270 वर्गफीट अधिक जारी किए जाने का कथन किया है वहां भी स्पष्ट करना चाहेंगें कि 300 वर्ग गज तक का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है जिसके अनुसार 2700 वर्गफीट तक का पट्टा ग्राम पंचायत को जारी किये जाने का अधिकार क्षेत्र है अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा हस्तगत प्रकरण में 1170 वर्गफीट का पट्टा गैर निगराकार संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही जारी किया गया है। निगराकार ने कथन किया है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, जाड़ाना द्वारा सन् 2004 से 2009 (दिनांक 31.12.2009) तक जारी किए गए समस्त पट्टे फर्जी एवं सरपंच के अंगूठा छाप होने से न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त कर दिए थे किन्तु, अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो।

प्रकरण संख्या 26/2013 (नि.पं.)
मुकेश कुमार पितलिया पिता बसन्ती लाल महाजन निवासी जाड़ाना बनाम ग्राम पंचायत जाड़ाना पंचायत समिति राशमी वगैरा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी किए जाने में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। साथ ही अधिवक्ता निगराकार ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे पट्टा जारी करने में अनियमितता करने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित तथ्यों को भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कराया है। निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 3 को जारी पट्टा संख्या 656 दिनांक 20.01.2009 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।' पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गितेश श्री मालवीय)